न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2019 (डूंगरपुर आर्डर)

गेबीलाल पुत्र कोदरलाल नागदा, जाति जैन, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कोदरलाल पिता हुकमचन्द जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. केसरीमल पिता कोदरलाल जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. रमेशचन्द्र पिता कोदरलाल जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. प्रकाशचन्द्र पिता कोदरलाल जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. महेन्द्र कुमार पिता कोदरलाल जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
दिनांक 20.02.2019, प्र॰सं॰ 04/18

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजीव भटनागर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 11–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दादा हुक्मीचन्द पिता हीराचन्द महाजन के खाते की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजियात ग्राम आसपुर में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होकर कर्ताखानदान प्रतिवादी संख्या 1 कोदरलाल जी थे। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमियों का नाजायज लाभ उठाकर भूमि सुखलाल पिता भेमजी एवं देवजी पिता भेमजी को विक्रय कर रूपया प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने हड़प लिया तथा वादी के पुत्र संतान नहीं होने से वादी की पुत्री को नाजायज क्षति पहुंचाने की गरज से खसरा नंबर 1154 व 1156/1 पर व्यावसायिक निर्माण दुकानों हेतु प्रतिवादी संख्या 2 से 5 करा रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः ताफैसला मूलवाद प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, न ही इस भूमि को किसी को हस्तान्तरित करें।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 20–02–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–03–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री संजीव भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट दोनों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन नहीं किया है, जबकि विवादित आराजियात साक्ष्यों से पैत्रृक होना प्रमाणित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे

विवादित आराजियात में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, न ही इस भूमि को किसी को अन्तरित करें।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट को वर्ष 2009 में किये गये विक्रय पत्रों की जानकारी थी, फिर भी उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गयी और अब लम्बे समय बाद वाद प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधिवत विवेचन किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड में भूमियों रेस्पोन्डेन्टगण के नाम पर दर्ज होकर वह रेकार्डेड खातेदार हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधिवत विवेचन करते हुए सुविधा का संतुलन रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के पक्ष में मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–02–2019 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 15:33:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: